उत्तराखण्ड शासन
सू0 प्रौ0, सुराज एवं वि0 प्रौ0 अनु0–03

विमुक्त (Denotify)

23 मई, 2025 ई0

संख्या–I / 300203 / E-17505/2025/XXXIV(3)/-20(02)21–उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 (उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 20 वर्ष 2011) की धारा–03 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त तकनीकी शिक्षा विभाग की 16 अधिसूचित सेवाओं को अधिसूचना संख्या 837 / XXX(6)/2021-20(02)21, दिनांक 30.12.2021 से विमुक्त (Denotify) किया जाता है। अधिसूचना संख्या 837 / XXX(6)/2021-20(02)21, दिनांक 30.12.2021 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

नितिका खंडेलवाल,
अपर सचिव।

टिप्पणी–राजपत्र, दिनांक 11–10–2025, भाग 1 में प्रकाशित।
[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित––]
पी0एस0यू0 (आर0ई0) 02 सूचना प्रो0 / 480–14–11–2025–200 प्रतियां (कम्प्यूटर / रीजियो)